

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर(भीलवाडा)


खेमराज पिता हरचन्दा मीणा नि. राधी का बाडा

बनाम

महेन्द्र पिता रामसिंह राजपूत नि. धांघोला वगेरा

किसम मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 6/0/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
14-06-23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से वाद जॉव रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बोराणी प. ह. विन्ध्यामाटा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1250, 1252, 1253, 1256/2, 1257/2, 1259/1, 1260/2, 1261/1, 1263/2 कुल किता 9 रकबा 4.0468 हैक्टयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन कियों सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बोराणी प. ह. विन्ध्यामाटा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1250, 1252, 1253, 1256/2, 1257/2, 1259/1, 1260/2, 1261/1, 1263/2 कुल किता 9 रकबा 4.0468 हैक्टयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु मू. अगिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करवे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 14.6.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक/रीडर/2023/610/2023


दिनांक :- 14.06.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 610/23 अनवान खेमराज पिता हरचन्दा मीणा नि. राधी का बाडा बनाम महेन्द्र पिता रामसिंह राजपूत, कमला पत्नि किशनलाल मीणा, शिवजीराम पिता भागा मीणा, साजी पिता मोटू मीणा, बट्टीलाल पिता चन्द्रा मीणा, रामदेव पिता चन्द्रा मीणा, मोहनलाल पिता सुमना मीणा, जमना लाल पिता सांवता मीणा नि. राधी का बाडा बगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम बोरानी प. ह. बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1250, 1252, 1253, 1256/2, 1257/2, 1259/1, 1260/2, 1261/1, 1263/2 कुल कित्ता 9 रकबा 4.0468 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौक पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 याम में पेश कर।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)